न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 103/2010

हंसराज पुत्र रामेहत जाति मीणा निवासी खानपुरिया तह0 मांगरोल जिला बारां

..... वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट
वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती नक्शा

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)

वकील वादी : महेन्द्र सिंह हाडा

दायर दिनांक--26.08.2010 निर्णय दिनांक : 16.05.2013

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 18.03.1989 को मिशल नं0 49 से ग्राम खानपुरिया के खसरा नम्बर 24 रकबा 6 बीघा बंजड भूमि आवंटन की गयी वक्त आवंटन उक्त भूमि राजस्थान सरकार खाता दर्ज थी तथा खसरा नम्बर 24 का पुरा रकबा 51 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था आवंटन होने के पश्चात दिनांक 25.09.1989 को गवाहन के समक्ष आवंटी को आराजी पर दखल व कब्जा दिया गया तब से आज तक उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त है। वादी का लगातार कब्जा देखते हुए प्रतिवादी नं0 इन्तकाल नं0 13 दिनांक 04.06.1992 से आवंटित आराजी की गैर खातेदारी वादी के दर्ज कर दी गई गैरखातेदारी खसरा नं0 18 रकबा 0.96 है0 पर दर्ज की गयी। वर्तमान में वादी आवंटित आराजी का खातेदार कृषक है। वक्त आवंटन आराजी खसरा नम्बर 24 का नक्शा पश्चिमी दिशा में चौडाई में चौडा था दौराने सेटलमेंट खसरा नम्बर 24 से 18 दर्ज करते समय हाल नक्शा चौडाई में कम कर दिया गया। चौडाई कम कर देने से वादी के खाते की आराजी लगभग 2 बीघा चारागाह में चली गई जबकि रेकार्ड में वादी के खाते दर्ज है। उस पर प्रतिवादी वादी को बेदखल कर वृक्षारोपण करना चाहते है। जबकि वादी ने उक्त भूमि पर तिल्ली की फसल बो रखी है। अतः हाल नक्शा खसरा नं0 18 रकबा 0.96 है0 वाके माल खानपुरिया को पूर्व नक्शे खसरा नम्बर 24 रकबा 6 बीघा के अनुरूप किया जाकर नक्शे में लाल स्याही से संशोधन किया जावें। तथा स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित करें कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 0.96 है0 में गढ्डे ना खादे व वृक्षारोपण ना करें

उक्त आश्य का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 26.08.2010 को दर्ज रजिस्टर किया त्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी तहसीलदार मांगरोल त्रांक एलआर/2017/2154 दिनांक 31.05.2017 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम खानपुरिया के मुताबिक रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070–73 में खसरा नं0 18 स्थिति मुताबिक रेकार्ड निम्न प्रकार से है। खसरा नम्बर 18 रकबा 0.38 गै0 मु0 खाल, 18/385 रकबा 0.96 है0 भूमि खातेदार छीतरलाल पुत्र कालूलाल जाति बैरवा के खाते दर्ज है। खसरा नं0 18/456 रकबा 1.60 है0, खसरा नं0 18/457 रकबा 0.80 है0 भूमि बच्ची बाई पत्नि रामगोपाल जाति मीणा के खाते में दर्ज है। खसरा नं0 18/458 रकबा 0.96 है0 भूमि नरेन्द्र जितेन्द्र विनोद पुत्र लालचंद जाति मीणा के खाते में दर्ज है। हाल खसरा नं0 18/459 रकबा 0.96 है0 भूमि हंसराज पुत्र रामहेत जाति मीणा के खाते में दर्ज है। खसरा नं0 18/460 रकबा 0.28 है0 भूमि बंजड व खसरा नं0 18/473 रकबा 0.01 है0 भूमि नहरी सिवायचक खाते में दर्ज है। प्रार्थी हंसराज पुत्र रामहेत मीणा निवासी खानपुरिया के नाम खसरा नं0 18/459 रकबा 0.96 है0 भूमि का नक्शा नट्ठा में तरमीम नही है तथा प्रार्थी खसरा नं0 18/459 रकबा 0.96 है0 भूमि पर कब्जा काश्त है खसरा नं0 18 में तरमीम होने के बाद ही प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाया जाना संभव है। प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर तरमीम की जा सकती है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम खानपुरिया की आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 0.96 है0 की तरमीम करवाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थी हंसराज पुत्र रामहेत मीणा निवासी खानपुरिया के नाम खसरा नं0 18/459 रकबा 0.96 है0 भूमि का नक्शा नट्ठा में तरमीम नही है तथा प्रार्थी खसरा नं0 18/459 रकबा 0.96 है0 भूमि पर कब्जा काश्त है खसरा नं0 18 में तरमीम होने के बाद ही प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाया जाना संभव है। अतः वादी को आदेशित किया जाता है कि तरमीम हेतु तहसीलदार मांगरोल को आवेदन प्रस्तुत कर तरमीम करवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मऊ मजमेंआम में सुनाया गया।